राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 04.06.2021
स्थान– बिरसामुंडा सभागार, एसएलबीसी कार्यालय, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 75 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत
Minutes of the 75th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 75वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 04.06.2021 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति कार्यालय, रांची के बिरसामुंडा सभागार मे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री संजीव सिन्हा द्वारा की गयी। साथ ही बैठक में भारत सरकार, वित्तीय सेवाएँ विभाग के संयुक्त सचिव श्री मदनेश कुमार मिश्रा, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्री अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, श्रीमती दीप्ती जयराज, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री राजेश रंजन तिवारी, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक श्री जी. के. नायर, एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री उद्दालक भट्टाचार्य, निदेशक, कृषि विभाग, झारखंड सरकार श्रीमति निशा ओरांव, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती मेघा भारद्वाज, एसएलबीसी, झारखंड के उप-महाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो एवं जेएसएलपीएस की सीईओ श्रीमति नैन्सी सहाय विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के महाप्रबंधक श्री विनोद कुमार पटनायक, केनरा बैक के महाप्रबंधक श्री हितेश गोयल, भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री अनाथबंधू मंडल एवं सहायक महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री सुनील वी. जोडे एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे।

एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक का संचालन श्री विभव कुमार के द्वारा किया गया। श्री कुमार ने बैठक को प्रारम्भ मे सर्वप्रथम एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री उद्दालक भट्टाचार्य को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया।

महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सर्वप्रथम बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया, तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के विकट समय में बैंकों द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय है। कोविड महामारी में बैंक एवं अन्य विभागों के कई अधिकारी एवं कर्मचारी संक्रमित हुये तथा कई की मृत्यु भी हुई है। श्री भट्टाचार्य ने खेद प्रकट करते हुए सभी से कोविड से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।

जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये महामारी मे बचना है तथा आशा व्यक्त कि वहुत ही जल्द हमलोग इस महामारी से निजात पा लेंगें।

उन्होने आगे कहा कि एसएलवीसी की पिछली वैठक में भारत सरकार, वित्तीय सेवाएँ विभाग के संयुक्त सचिव ने सुझाव दिया था कि एसएलवीसी की आगामी बैठक में सर्वप्रथम ATR / Agenda पर परिचर्चा की जाएगी एवं उसके बाद गणमान्य सदस्यों द्वारा सम्बोधन (Dignitaries-Speech) किया जाएगा, जिसका वे सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। किन्तु, उनके विचार से बैठक के प्रारंभ में सभी गणमान्य व्यक्तियों के सम्बोधन (Dignitaries-Speech) से सभी स्टेक होल्डेर्स सरकार के दृष्टिकोण एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है एवं तत्पश्चात ATR / Agenda में भी इसकी चर्चा की जाती है।

उन्होने आगे कहा कि राज्य का सीडी रेशियो लगातार गिरते हुये नए निचले स्तर 42.43% पर पहुँच गया है। इसके कई कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण एसवीआई की दिसम्वर तिमाही मे की गयी रिपोर्टिंग की तुलना में मार्च,21 मे कुल ऋण मे रु. 16,000/- करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले कुछ तिमाही से एसवीआई की रिपोर्टिंग में कई कमियाँ पाई गई, जो एसवीआई की रिपोर्टिंग पर संदेह उत्पन्न करता है। उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि एसएलवीसी को डाटा रिपोर्टिंग के पूर्व डाटा की प्रामाणिक जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए एवं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए।

एसीपी (ACP) उपलब्धि के बारे मे श्री सिन्हा ने वताया कि राज्य स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 मे एसीपी की उपलब्धि शत-प्रतिशत से भी अधिक रही है, जवकि 24 मे से 20 जिलों मे एसीपी उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध कम रही है। इसी प्रकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को छोड़कर, सभी PSU Banks की एसीपी उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध कम रही है।

उन्होने बैंकों द्वारा एसएलवीसी को दिये गए डाटा की प्रामाणिकता के संबंध में कहा कि, राज्य में एसवीआई की 17.46% शाखाएँ होने के वावजूद Operating KCC की हिस्सेदारी 11.40% है, जवकि राज्य में RRBs की 13.64% शाखाएँ होने पर भी Operating KCC की हिस्सेदारी 30.14% है। उन्होने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक की उपलब्धि कृषि क्षेत्र मे संतोषजनक नहीं है। इसी क्रम में आगे बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किसानों को केसीसी से जोड़ने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान को राज्य के बैंकों को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की आवश्यता है।

उन्होने एसएलवीसी एजेंडा वुक की पृष्ट संख्या 48 का जिक्र करते हुये कहा कि राज्य में SHG-NRLM क्रेडिट लिंकेज के लिए वर्ष 2020-21 में आईडीवीआई एवं आईसीआईसीआई वैंक के अतिरिक्त किसी भी प्राइवेट बैंक को लक्ष्य नहीं दिया गया है। उन्होने एसएलवीसी से अनुरोध किया कि इन योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को दिये जाने वाले लक्ष्य को सभी Small Finance Bank एवं प्राइवेट बैंकों को भी उनके शाखाओं की संख्या के अनुरूप देना चाहिए।

श्री सिन्हा ने पिछली एसएलवीसी की वैठक में आईसीआईसीआई एवं एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा बीसी एवं सीएसपी पॉइंट्स की जानकारी नहीं देने के मामले का जिक्र किया, इन बैंकों द्वारा अभी तक इस विषय की जानकारी एसएलवीसी को नहीं देने का पर्याप्त कारण पूछा ?

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लगातार वढ़ रहे एनपीए के संदर्भ में कहा कि इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वतायी। उन्होने इस संबंध में कहा कि पीएमईजीपी योजना के

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति BOI झारखण्ड

अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 80.48% है, केसीसी योजना के अंतर्गत एनपीए 80.83% है, जबकि पीएमएमवाई (मुद्रा योजना) के अंतर्गत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए 58% है ,लगातार एनपीए का बढ़ना इन योजनाओं में ऋण प्रवाह के लिए बाधक है। उन्होने इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों से अनुरोध किया कि वे इन बैंकों के साथ मिलकर कार्य करें। एसएलबीसी सब-कमेटी में समस्त स्टेक होल्डेर्स के साथ परिचर्चा करते हुए एनपीए स्तर को कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की बात कही।

दिनांक 26.03.2021 को Financial Inclusion and Financial Literacy विषय पर सम्पन्न विशेष एसएलबीसी की बैठक का जिक्र करते हुये श्री सिन्हा ने बताया कि इस बैठक में भारतीय रिसर्व बैंक के उपगवर्नर, बैंक ऑफ इंडिया के Executive Director एवं महाप्रबंधक के साथ-साथ राज्य सरकार के योजना-सह-वित्त विभाग के सचिव तथा सभी बैंक के राज्य स्तरीय प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित अतिथियों द्वारा राज्य के बैंकों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को Action Point निर्दिष्ट किए गए थे। एसएलबीसी को बैठक की कृत कार्यवाही रिपोर्ट Agenda Book में शामिल करने की बात कही। उन्होने एसएलबीसी को विशेष एसएलबीसी के Action Point की प्रगति की समीक्षा हेतु एसएलबीसी की Financial Inclusion and Financial Literacy की सब-कमेटी की मासिक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया तथा प्रगति की जानकारी एसएलबीसी की आगामी बैठक में होनी चाहिए।

उन्होने बैंक ऑफ इंडिया से राज्य के विभिन्न जिलों में खाली पड़े FLC-Counsellor की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। उन्होने सभा को स्पष्ट किया कि जिन जिलों में सीएफ़एल कार्य कर रही है, उन जिलों में भी बैंकों को FLC-Counsellor की नियुक्ति करनी है।

आरबीआई के महाप्रबंधक ने एसएलबीसी पोर्टल पर रिपोर्टिंग के लिए Automated Data Flow System के संबंध में कहा कि कुल 37 बैंकों में से 28 बैंकों द्वारा Automated Data Flow System के तहत कार्य समाप्त कर लिया गया है, शेष 9 बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपने प्रधान कार्यालय से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र Automated Data Flow System लागू करें।

गोड्डा जिले में विगत दो महीने से रिक्त पड़े अग्रणी जिला प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति के लिए इंडियन बैंक के महाप्रबंधक को इस विषय को गंभीरता से लेने की बात कही साथ ही कहा कि इंडियन बैंक यदि लीड बैंक की ज़िम्मेदारी निर्वहन मे असमर्थ है तो आरबीआई को सूचित करें। आरबीआई द्वारा इस विषय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

उन्होने 74 वी॰ एसएलबीसी बैठक के ATR के संदर्भ में कहा कि इसके कार्यान्वन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। हालाँकि इस विषय पर बैंकों से पूछा कि उन्होने National Strategy of Financial Inclusion के अंतर्गत Skill Development and Livelihood Generation के विभिन्न मापदंड के अंतर्गत क्या कार्य किया गया है ?

उन्होने कहा कि एसएलबीसी द्वारा राज्य के सभी RSETIs के लिए एक वेब पेज तैयार करना चाहिए, जिसमें सभी RSETIs को Login Credentials दिया जाना है। जिससे RSETIs अपने प्रशिक्षण कोर्स एवं कार्यक्रम की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को RSETIs का लाभ मिल सके।

सम्बोधन के पश्चात SLBC के Agenda item की विस्तृत जानकारी सभा को दी गई जिसकी जानकारी नीचे दी जा रही है-

क्रम संख्या	विषय	परिचर्चा	संबन्धित विषय पर कृत कार्यवाही
01	Land Records को अद्यतन किया जाना एवं बैंकों द्वारा ऑनलाइन Charge Creation करने की व्यवस्था।	दिनांक 15.02.2021 को संपन्न 74वीं SLBC की बैठक में इस विषय पर चर्चा के दौरान विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार श्री के० के० खंडेलवाल के द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि राज्य में सभी Land Record का अद्यतन किया जा चूका है। उन्होंने बताया था कि बैंकों को कृषि ऋण देने हेतु अंचल अधिकारी को ऋण आवेदनकर्ता के नाम से भूमि का हिस्सा प्रमाण-पत्र जारी करने अधिकृत किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर इसके लिए एक मानक फॉर्मेट तैयार किया जायेगा। इस विषय पर श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि भूमि पर बैंक-चार्ज के संबंध में झारखंड उन प्रमुख राज्यों मे है जहाँ ई-स्टांपिंग संबन्धित कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अंतर्गत भूमि-बंधक करने तथा Bank Mortgage संवन्धित सारे कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। देश में झारखंड समेत 17 राज्यों में यह सुविधा अगले 15-20 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। बैंकों को इस दिशा में राज्य सरकार के साथ मिलकर यथाशीघ्र इस व्यवस्था की शुरूवात करनी चाहिए। **(Action-All Banks)**	
02	**वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में**	58 वी० एसएलबीसी के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया था कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों के नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाना है। अतःRBI के सुझावों के आलोक में पुनः इस विषय को शामिल किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय साक्षारता संबन्धित कार्यपुस्तिका के कुछ अध्यायों को कक्षा छः से दस तक स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा चुका है। कार्यपुस्तिका के बचे हुये अध्याय को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मल्लित करने हेतु दिनांक 15.02.2021 को आयोजित एसएलबीसीबी की बैठक में माननीय विकास आयुक्त द्वारा विशेष सचिव, वित्त को निर्देश	

		दिया गया कि सभी संबधित हित धारकों के साथ एक बैठक करते हुये इस संबंध में उचित कार्यवाही दिनांक 20.04.2021 तक पूर्ण करें।इस संबंध में श्रीमति दीप्ति जयराज़, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड सरकार द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि वित्तीय शिक्षा संबन्धित कार्यपुस्तिका के बचे हुये अध्याय को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मल्लित करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ अध्याय को सम्मिलित कर लिया गया है एवं शेष बचे हुये पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने हेतु Text-Book प्रिंटिंग प्रक्रिया कोविड-महामारी के कारण लंवित है जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। **(Action-State Government)**	
03	**PM स्वनिधि योजना के अतर्गत राज्य के सभी बैंकों की उपलब्धि**	दिनांक 20/05/2021 की स्थिति के अनुसार 39,512 आवेदन पोर्टल पर अपलोड किये गए, जिसमें 23,566 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गए है एवं 10428 ऋण आवेदनों को पोर्टल पर Reject किया गया । इस संबंध में श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) द्वारा बैंकों से Reject किए गए 10,428 ऋण पीएम स्वनिधि आवेदनों पर अपनी नाराजगी जाहीर की। उन्होने एसएलबीसी एवं सभी बैंकों से इस विषय की गंभीरता को समझते हुये एसएलबीसी एवं राज्य सरकार को इतनी भारी संख्या में Reject किए गए आवेदनों की समीक्षा करने को कहा तथा बैंकों से इसका कारण जानना चाहा। पीएनबी एवं एसबीआई द्वारा बताया गया कि कुछ आवेदन Low CIBIL Score के कारण निरस्त किया गया, ऋण आवेदनकर्ता द्वारा ऋण लेने में अनिच्छा (Borrower Not Turn-up) एवं Duplicate Application, Account not available के आधार पर रिजैक्ट /रिटर्न किए गए हैं। जिसपर श्री मिश्रा द्वारा कहा गया कि Borrower not turn-up की जानकारी ULBs को देते हुए इसकी सूचना जिला उपायुक्त को भी देनी चाहिए। आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक श्री राजेश रंजन तिवारी द्वारा बताया गया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 80% ऋण की स्वीकृति PSBs बैंक द्वारा की गई है, जबकि	

		प्राइवेट बैंक एवं Small Finance Bank द्वारा ऋण स्वीकृति की स्थिति बेहद खराब है। इसपर श्री मिश्रा ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि शीघ्र ही इस मुद्दे पर सभी प्राइवेट बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक की एक बैठक करनी चाहिए। **(Action-All Banks,SLBC,State Government)**	
04	**राज्य के डेयरी एवं फिशरी एक्टिविटी से जुड़े किसानों को केसीसी प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित KCC Saturation Drive की प्रगति**	KCC Saturation Drive के अंर्तगत राज्य के डेयरी एवं फिशरी एक्टिविटी से जुड़ें किसानों को भी KCC योजना से जोड़ने के लिए झारखण्ड राज्य मिल्क फेडरेशन, डेयरी डेवलपमेंट एवं फिशरी विभाग से आवेदन सृजित कर बैंकों को भेजे जा रहें। बैंकों द्वारा जनवरी, 2021 तक डेयरी क्षेत्र में 4749 एवं फिशेरी में 1264 ऋण आवेदन Sanction किये गये है। हालाँकि, अभी भी लंबित आवेदनों की संख्या एवं बैंकों द्वारा भारी संख्या में आवेदनों को Reject किया जाना एक चिंतनीय विषय है। डेयरी केसीसी के अंतर्गत कुल 2,257 आवेदन लंबित है, जिसमें 1,183 आवेदन पीएनबी के पास लंबित पड़े हैं। इसपर पीएनबी के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई है कि ऋण आवेदनों को निरस्त करने के कई कारण है, जैसे – यूनिट नहीं पाया जाना (unit not found), खराब CIBIL-Score, Incomplete Applications, out of Service Area. उन्होने सभा को भरोसा दिया कि सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा। इस विषय पर झारखंड मिल्क फेडरेशन के एमडी श्री सुधीर सिंह में कहा कि राज्य में JMF एवं डेयरी डेव्लपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कुल 33,386 आवेदन सृजित किए गए, जिसमें से बैंकों द्वारा केवल 14.50% आवेदन स्वीकृत किए गए , जबकि 32.70% आवेदनों को बिभिन्न कारणों से Reject कर दिया गया है, जैसे- Land Record, Insurance of Cattle आदि। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि 1.60 लाख तक केसीसी के लिए बैंक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जबकि JMF द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे Dairy Farmers के खाते में पैसे भेजे जाते हैं।	

		इसी क्रम में संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग श्रीमती दीप्ति जयराज़ ने कहा कि उनके द्वारा डेयरी एवं फिशेरी केसीसी योजना की नियमित समीक्षा में यह पाया गया कि जिला स्तर पर JMF, DDO एवं फिशेरी विभाग में समन्वय की भारी कमी है एवं बैंकों द्वारा बहुत सारे आवेदन Low CIBIL Score एवं पहले से केसीसी लोन होने के कारण Reject किया गया है। जैसे-पीएनबी द्वारा 143 आवेदन। उन्होने बैंकों से जानना चाहा कि केसीसी जैसे छोटे लोन के लिए CIBIL Score की क्या आवश्यकता है ? उन्होने HDFC बैंक द्वारा कोई आवेदन स्वीकृत नहीं करने पर चिंता जतायी एवं सभी बैंकों से इस योजना में प्राप्त आवेदनों को प्रथिमिकता देते हुये आवेदनों का निस्तारण करने को कहा।उन्होने बैंकों द्वारा आउट ऑफ सर्विस एरिया के Concept पर प्रश्न करते हुये कहा कि जब आवेदनकर्ता उस बैंक-शाखा मे जेएमएफ़ द्वारा डीबीटी के माध्यम से Milk-Supply का भुगतान प्राप्त करते हैं तो सर्विस एरिया का Concept समझ से परे है । इस विषय पर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार मे श्री अबूबक्कर सिद्दीकी ने कहा कि इस योजना के लिए विभाग द्वारा भेजे गए आवेदनों की संख्या एवं बैंकों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या में काफी अंतर है। उन्होने राज्य में केसीमी ऋण वितरण में सभी बैंकों (विशेषकर प्राइवेट बैंक) के poor performance पर चिंता जतायी। उन्होने आगे कहा कि पिछले एक साल से सभी एसएलबीसी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होती है, किन्तु इस क्षेत्र में प्रगति अभी-भी शून्य है। श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) ने नाबार्ड से इस मुद्दे पर अपने विचार रखने को कहा। नाबार्ड के CGM श्री जी. के. नायर ने डेयरी-फिशेरी केसीसी के आवेदनों में Sending-Receiving Mismatch के संदर्भ में कहा कि इस विषय पर सभी स्टेक होल्डेर्स को एक सिस्टम तैयार करना चाहिए। उन्होने आगे कहा कि जिन आवेदनकर्ता के पास पहले से ही केसीसी चल रहा है, उन्हे नया केसीसी देने के वजाए, वर्तमान केसीसी को ही बढ़ाना चाहिए। उन्होने बैंकों को केसीसी के लिए लक्ष्य (Target)	

		देने की बात कही। श्री मदनेश मिश्रा ने कहा कि इस विषय पर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, नाबार्ड एवं सभी स्टेक होल्डेर्स के साथ एक बैठक करने को कहा तथा इस मुद्दे पर सभी बैंकों के साथ मिलकर एक SOP तैयार करनी चाहिए, जिसे शाखा स्तर पर भेजा जाना चाहिए, जिससे इस योजना के कार्यान्वयन में Clarity आएगी एवं शाखाओं को ऋण प्रदान में सहूलियत होगी। सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने सभी पीएम किसान लाभूकों को केसीसी प्रदान करने के संबंध में कहा कि राज्य में 32 लाख पीएम किसान के लभूक है, जबकि केवल 13 लाख किसानों को केसीसी योजना का लाभ मिल पाया है। उन्होने केसीसी से वंचित सभी पीएम किसान के लभूकों को केसीसी देने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा। **(Action-All Banks,NABARD,State Government)**	
05	राज्य में Government Sponsored Cases में NPA की स्थिति	राज्य में NPA, विशेषकर Government Sponsored Cases में काफी ज्यादा NPA होने पर बैंकों ने राज्य सरकार से अपेक्षा जताई है कि सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति हेतु शेष 17 जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति अविलम्ब की जाये, ताकि बैंकों को NPA वसूली में सहूलियत हो। Physical Possession से सम्बंधित 284 Cases विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये गए हैं, राज्य सरकार से अपेक्षा है कि सम्बंधित जिलों के उपायुक्तों को इन सभी लंबित मामलों के समाधान हेतु बैंकों को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। इस विषय पर संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग श्रीमती दीप्ति जयराज़ ने कहा कि राज्य स्तर राजस्व विभाग से शेष 17 जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। **(Action-State Government)**	

06	SHG एवं PMEGP ऋण योजना में उच्च NPA की स्थिति	दिसम्बर, 2020 तिमाही में SHG Finance में कुछ बैंकों जैसे :-IDBI, PNB एवं SBI में उच्च स्तर NPA क्रमशः 73.71%, 54.67% एवं 19.84% है, जो कि काफी चिंता का विषय है। JSLPS से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले का संज्ञान लें तथा समय से ऋण वापसी हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच निरंतर जागरूकता कार्यक्रम चलायें। इस विषय पर जेएसएलपीएस की सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय ने कहा कि उनके द्वारा एसएचजी फ़ाइनेंस में बढ़ रहे एनपीए के संदर्भ में जेएसएलपीएस के जिला स्तर पर नियुक्त प्रतिनिधियों से चर्चा चल रही है।उन्होने बताया कि वर्ष 2021-22 हेतु ग्रामीण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा राज्य मे 1,26,000 एसएचजी खातों मे 1400 करोड़ लोन Disbursement का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 हेतु 1,00,000 नए एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का भी लक्ष्य झारखंड राज्य हेतु निर्धारित किया गया है , जिसकी बैंकवार-जिलवार जानकारी एसएलबीसी सब-कमेटी में दी जा चुकी है। एसएलबीसी बैठक मे सब कमिटी मे सुझाए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। **(Action-All Banks,JSLPS)** इसी प्रकार, PMEGP के मामले में भी बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, इंडियन बैंक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, PNB, SBI, UCO बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया का एनपीए प्रतिशत 25% से अधिक होना चिंता का विषय है। संबन्धित Agencies को बैंको के साथ मिलकर रिकवरी हेतु प्रयास करना चाहिए। **(Action-All Banks,KVIC)**	
07	JLG (Joint Liability Group) का प्रोमोशन एवं वित्त पोषण	JLG (Joint Liability Group) के सम्बन्ध में नाबार्ड के द्वारा बताया कि राज्य में JLG को प्रोमोट करने हेतु तीन बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसके अतर्गत प्रत्येक JLG के लिए रु. 4,000/ - का ग्रांट दिया जायेगा। इस संबंध में नाबार्ड द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 2021-22 हेतु 3,000 JLG फ़ाइनेंस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसमें	

		प्राइवेट बैंक जैसे-एचडीएफ़सी तथा एनबीएफ़सी बैंक से भी JLG Finance के लिए बात हो रही है। उन्होने एसएलबीसी स्तर पर बैंकवार एवं जिलवार लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। **(Action-All Banks, SLBC)**	
08	**एयरटेल पेमेंट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा SLBC को डाटा नहीं देने के सम्बन्ध में**	RBI द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक द्वारा झारखण्ड में उनके बैंकिंग आउटलेट (BC-Point) से सम्बंधित जानकारी नहीं देने के सम्बन्ध में SLBC को सलाह दिया गया कि इस मुद्दे को एयरटेल पेमेंट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के समक्ष उठाना चाहिए। **(Action-Airtel Payment Bank,ICICI Bank)**	
09	**SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW**	RBI द्वारा SLBC को reporting के लिए Automated Data Flow system के सम्बन्ध में कुछ बैंकों द्वारा गंभीरता इस विषय को गंभीरता से नहीं लेने की बात कही गई है। यह प्रोजेक्ट मार्च, 2021 से पहले लागु किया जाना था हालाँकि, मार्च 2021 तिमाही की रिपोर्टिंग 28 बैंकों द्वारा की गयी है। निम्न 9 बैंकों द्वारा अभी तक Sample डाटा भी एसएलबीसी को प्रदान नहीं किया गया है। Axis Bank, Bank of Maharashtra, DCCB, ICICI Bank, IPPB, JRGB, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank (DBS), Ujjivan Small Fin. Bank. इस विषय पर आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि द्वारा अद्यतन जानकारी देने में असमर्थता जताई गई, जिसपर आरबीआई द्वारा नाराजगी जाहीर करते हुये आईसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि को सलाह दी गई कि राज्य स्तर की इस महत्वपूर्ण बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहें। इसी क्रम में, Axis Bank के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गई कि Axis Bank जून महीने के अंत तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएग। JRGB Bank द्वारा भी इस विषय पर कार्य किए जाने की बात कही गई तथा जल्दी ही इस कार्य को पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया। **(Action-All Mentioned Banks)**	

10	**राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला, जिसे 31 मार्च, 2021 तक 100% डिजिटल जिला बनाने के सम्बन्ध में**	राज्य का पूर्वी सिंहभूम जिला, जिसे 31 मार्च, 2021 तक 100% डिजिटल जिला बनाने का लक्ष्य निर्धारित था। बैंकों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को Individual accounts के मामले में 98% एवं Business खातों के मामले में 78% उपलब्धि रही है। इस विषय पर चर्चा के दौरान श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) ने कहा कि 100% डिजिटल जिला का सही उद्देश्य जिले सभी खाताधारकों द्वारा डिजिटल पेमेंट के लिए enable होने के बजाए डिजिटल पेमेंट हेतु जागरूकता अपनानी चाहिए। उन्होने आगे कहा कि 100% डिजिटल जिला बनाने के लिए उस जिले में सभी eligible बैंक-खातों के सापेक्ष डिजिटल पेमेंट Usase को ही मापदंड लिया जाना चाहिए।उन्होने एसएलबीसी को इसी दिशा में कार्य करने की सलाह दी। एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि इसी संदर्भ में दिनांक 06.06.2021 को NPCI के साथ एक बैठक प्रस्तावित है। **(Action- SLBC,NPCI)**	
11	**दिनांक 26.03.2021 को राज्य में Financial Inclusion and Literacy की स्थिति की समीक्षा हेतु विशेष SLBC मीटिंग करने हेतु**	इस विषय पर एसएलबीसी द्वारा सभी स्टेक होल्डेर्स से अनुरोध किया गया कि इस बैठक की कार्यवृत एवं ATR एसएलबीसी द्वारा सभी को भेजा जा चुका है एवं सभी स्टेक होल्डेर्स द्वारा ATR की रिपोर्ट एसएलबीसी को एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करें। **(Action- ALL BANKS,STAKEHOLDERS)**	
12	**CD ratio की समीक्षा**	राज्य के 18 जिलों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम रहा है। जिले के DCC/DLRC के अंतर्गत सीडी ratio के Sub-Committee में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। CD ratio से संबन्धित पिछले तिमाही का Monitorable Action Plan सभी 18 जिलों के LDM के द्वारा SLBC को प्रेषित किया गया है। इस संबंध मे वैसे सभी ज़िले, जिनका सीडी रेशियो 40% से कम है ,उनके LDM को ज़िले का Monitorable action plan SLBC इस माह के अंत तक प्रेषित करना है।	

		ये ज़िले हैं:- 1. बोकारो; 2. चतरा; 3. देवघर; 4. कोडरमा; 5. दुमका; 6. गढ़वा; 7. गिरिडीह; 8. गोड्डा; 9. गुमला; 10. हजारीबाग; 11. जामतारा; 12. खूंटी; 13. लातेहार; 14. लोहरदगा; 15. रामगढ़; 16. साहिबगंज; 17. सिमडेगा; 18. पश्चिमी सिंघभूम. इस विषय पर चर्चा के दौरान एसएलबीसी द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि राज्य का CD Ratio मार्च, 2020 के 56.63% से लगातार गिरते हुये मार्च, 2021 में 42.43% हो गया है, जबकि दिसम्बर, 2020 तिमाही में यह 50.43% था। दिसम्बर,2020 तिमाही की तुलना में मार्च,2021 में CD Ratio में आई इस भारी गिरावट का मुख्य कारण एसबीआई द्वारा कुल ऋण प्रवाह में दिसम्बर,2020 तिमाही की तुलना में मार्च,2021 तिमाही में ₹16,079.24 करोड़ की गिरावट रही है। इस विषय पर श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार) द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री अनाथबंधू मंडल से जानकारी देने को कहा गया, जिसपर उन्होने सभा को जानकारी दी कि इस तिमाही में एसएलबीसी को डाटा सीबीएस पोर्टल के आधार पर दिया गया था। आरबीआई के द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि एसबीआई द्वारा अंतिम चार तिमाही से एसएलबीसी को दिये गए डाटा में काफी परिवर्तन आया है। उनके द्वारा केसीसी reporting में अंतर के कारण राज्य में पहले 19 लाख केसीसी खाते थी, जो अब घटकर 13 लाख रह गई है। अंत: श्री मदनेश मिश्रा (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार), संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग श्रीमती दीप्ति जयराज़ एवं आरबीआई द्वारा एसबीआई को कहा गया कि एसबीआई जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बैंक को एसएलबीसी को डाटा reporting करने से पूर्व उनके बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करनी चाहिए। **(Action-Concerned LDMs, SBI)**	

13	**वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2020-21 के अंतर्गत मार्च ,2021 तिमाही तक कुल ऋण की उपलब्धि एवं वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक ऋण योजना (ACP) का लक्ष्य निर्धारण**	इस विषय पर चर्चा के दौरान एसएलबीसी द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक ऋण योजना (ACP) के अंतर्गत मार्च, 2021 तिमाही तक कुल ऋण उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य का 111.64% रहा, जिसमें कृषि ऋण के क्षेत्र में 51.57% रही, जबकि एमएसएमई में 117.42%, OPS 101.48% तथा NPS में 176.10% उपलब्धि रही। इस संबंध में यह तथ्य सामने आया कि प्राइवेट बैंक एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक को अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा कम या लक्ष्य नहीं देने के कारण उनका ACP उपलब्धि काफी अधिक रही। इसपर आरबीआई द्वारा कहा गया कि राज्य में बैंकिंग कार्य करने वाले सभी प्राइवेट एवं स्माल फ़ाइनेंस बैंक को उनके शाखाओं की संख्या के अनुपात में ACP लक्ष्य दिया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में, संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग श्रीमती दीप्ति जयराज़ द्वारा जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक ऋण योजना (ACP) के अंतर्गत कुल ऋण प्रवाह का लक्ष्य ₹ 40,444.49 करोड़ निर्धारित किया गया है, जबकि वर्ष 2020-21 की कुल उपलब्धि ₹41,704.68 करोड़ है, इसी प्रकार, एमएसएमई में निर्धारित लक्ष्य ₹ 12,693.81 करोड़ है, जबकि इस क्षेत्र में वर्ष 2020-21 की एमएसएमई में कुल उपलब्धि ₹13,216.26 करोड़ है। उन्होने सलाह दिया कि एसएलबीसी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित वार्षिक ऋण योजना (ACP) पर पुनर्विचार करने की अवश्यकता है। इसका आरबीआई द्वारा भी समर्थन किया गया। इसी क्रम में अग्रणी जिला प्रबन्धक, रांची द्वारा बताया गया कि एसएलबीसी द्वारा रांची जिले में बंधन बैंक की 21 शाखाएँ reporting की जा रही है, जबकि उनके पास बंधन बैंक की सिर्फ 3 शाखाओं की reporting है, जिसपर आरबीआई द्वारा एसएलबीसी को उनके पास उपलब्ध शाखा-नेटवर्क के आधार पर ACP target निर्धारित करने को कहा गया। **(Action-SLBC)**	

14	**केसीसी योजना की समीक्षा**	केसीसी ऋण की समीक्षा के दौरान एसएलबीसी द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में जारी कुल 13,01,175 केसीसी में से बीओआई द्वारा 4,05,482, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा 3,79,026 एवं एसबीआई द्वारा 1,48,324 केसीसी जारी किए गए है। इसी संदर्भ में नाबार्ड के सीजीएम ने कुछ प्राइवेट बैंकों के शून्य/नगण्य केसीसी उपलब्धि पर इन बैंकों को भी केसीसी जारी करने हेतु अनुरोध किया। **(Action-SLBC)**	
15	**SHG / NRLM योजना की समीक्षा**	राज्य में SHG/NRLM योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान एसएलबीसी द्वारा जानकारी दी गई कि JSLPS द्वारा SHG Credit-Linkage हेतु वर्ष 2020-21 के लिए दिये गए लक्ष्य 88,420 दिया गया था, जिसके सापेक्ष उपलब्धि 1,05,828 रही है। SHG Credit Linkage में बीओआई द्वारा 16,460 लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 21,510 खातों की रही एवं JRGB द्वारा 22,330 लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 36,954 रही है। इसी क्रम में, एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि IDBI एवं UCO बैंक की लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। **(Action-SLBC)**	
16	**पीएमईजीपी योजना की समीक्षा**	PMEGP योजना की समीक्षा के दौरान एसएलबीसी द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि राज्य में पीएमईजीपी योजना के लिए वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लक्ष्य 1863 के विरुद्ध उपलब्धि 1755 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि मार्जिन मनी के लिए निर्धारित लक्ष्य रु 55.89 करोड़ के विरुद्ध उपलब्धि रु 44.78 करोड़ रही है। इस क्रम में एसएलबीसी द्वारा जानकारी दी गई कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लक्ष्य का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसपर KVIC के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके प्रधान कार्यालय के द्वारा PMEGP के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, आरबीआई द्वारा KVIC को सलाह दिया गया कि वर्ष 2021-22 हेतु बैंकों को लक्ष्य देने हेतु राज्य स्तर पर टास्क-फोर्स की बैठक में प्राइवेट बैंक, स्माल फ़ाइनेंस बैंक एवं आरआरबी को भी बुलाना चाहिए एवं उनको भी राज्य में उनकी उपस्थिती के अनुरूप लक्ष्य दिया जाना चाहिए। **(एक्शन-KVIC)**	

17	RSETI एवं FLC का परिचालन	एसएलबीसी द्वारा राज्य में संचालित RSETI एवं FLC के परिचालन की समीक्षा के दौरान सभा को जानकारी दी गई कि इस वित्तीय वर्ष में RSETI द्वारा कुल 412 प्रशिक्षण कार्यक्रम (लक्ष्य-465) आयोजित किए गए, जिसमें निर्धारित लक्ष्य 11,640 के विरुद्ध कुल 11,532 प्रशिक्षनार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया,जबकि वर्ष 2020-21 में कुल 2,644 प्रशिक्षनार्थियों का बैंकों के माध्यम से क्रेडिट-लिंकेज किया गया। आरबीआई के प्रतिनिधि द्वारा लोहरदगा में पिछले दो वर्ष से ठेकेदार द्वारा बंद किए हुये निर्माणाधीन RSETI भवन के संदर्भ में बैंक ऑफ इंडिया से जानना चाहा कि इस विषय पर बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं एवं इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा एवं RSETI का संचालन करने वाले बैंकों (बीओआई, एसबीआई, इंडियन बैंक, पीएनबी एवं केनरा बैंक) को MoRD के दिशानिर्देशनुसार 50 वर्ष से कम आयु के RSETI डाइरेक्टर की नियुक्ति करने को कहा। इसका जवाब देते हुये डीजीएम एसएलबीसी श्री गणेश टोप्पो ने जानकारी दी कि लोहरदगा RSETI का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। आरबीआई द्वारा एसएलबीमी को सलाह दी गई कि राज्य में रिक्त पड़े हुये FLC पदों की जिलेवार जानकारी सभी स्टेक होल्डेर्स को साझा करनी चाहिए एवं बैंकों को उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए एवं CFL Centre के संचालन एवं FLC की नियुक्ति का मामला, ये दोनों अलग-अलग विषय हैं। **(Action-BOI,SBI,INDIAN,PNB,CANARA)**	

18	एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों की बैठक	मार्च, 2021 तिमाही हेतु एसएलबीसी की तीन उप-समितियाँ सुरक्षा, आवास वित्त एवं Deepening of Digital Payment की बैठक नहीं हो पायी है। इनमें से सुरक्षा एवं आवास वित्त की बैठक 15.06.2021 तक करने हेतु संयोजक बैंक एसबीआई द्वारा राज्य सरकार के संबन्धित विभाग से अनुरोध किया गया है। साथ ही, Deepening of Digital Payment की बैठक कोविड के कारण नहीं हो पाई है एवं इसकी बैठक करने के लिए सभी स्टेक होल्डेर्स से बात की जा रही है। शीघ्र ही, इसकी बैठक कर ली जाएगी। **(Action-SBI,एसएलबीसी)**	
19	Targeted Financial Inclusion Intervention Programme in 19 Aspirational Districts	DFS द्वारा प्रायोजित Targeted Financial Inclusion Intervention Programme के तहत राज्य के 19 आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) (बोकारो, गिरिडीह, चतरा, हज़ारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, लातेहार, पाकुर, रामगढ़, साहेबगंज, पलामू एवं सिमडेगा) में सितम्बर, 2021 तक विभिन्न परिमापों (KPIs) में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सभी सदस्यों द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि इसके अंतर्गत डीएफ़एस द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी संबन्धित जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं स्टेक होल्डेर्स को विशेष प्रयास करने की जरूरत है खासकर पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई में कई जिलों की उपलब्धि अपेक्षाकृत काफी कम है। **(Action-एलडीएम, सभी बैंक)**	
20	झारखंड कृषि ऋण माफी योजना 2020	झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री,झारखंड के द्वारा दिनांक 29.12.2020 को किया जा चुका है। इस योजना की विस्तृत जानकारी www.jkrmy.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। इस संबंध मे सभी बैंकों तथा	

		स्टेकहोल्डर्स से परस्पर सहयोग देने का आग्रह किया गया है ताकि जल्द से जल्द झारखंड राज्य मे कृषि ऋण माफी योजना को सफलीभूत किया जा सके। इस सम्बब्ध में एसएलबीसी द्वारा सभा को जानकारी दी गई कि राज्य कुल 9,7,778 योग्य केसीसी खातों में से दिनांक 24.05.2021 तक कुल 5,52,398 केसीसी खातों को एनआईसी पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 63.62% एवं JRGB द्वारा 67.88% खातों को अपलोड किया गया है, जबकि एसबीआई द्वारा केवल 39.05% केसीसी खाते ही अपलोड किए गए हैं। संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग श्रीमती दीप्ति जयराज़ ने सभी बैंकों को एनआईसी - पोर्टल पर झारखंड कृषि ऋण माफी के लिए सभी योग्य केसीसी खातों को यथाशीघ्र अपलोड करने को कहा। **(एक्शन-संबन्धित बैंक)**	

बैठक के अंत मे उप महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं सभा समाप्ति की घोषणा की गयी।

(गणेश टोप्पो)
उप महाप्रबंधक,रा. स्त. बै. स.